

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 02/2025

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया, जाति साहनी, निवासी 91-92 फेंडस विहार, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर।
2. फर्म गणपति स्वीट हाउस, अग्रसेन चौक, गुरुद्वारे के सामने, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 05 सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि  
अप्रार्थी श्री इन्दर मुखिया अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 11.07.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को गणपति स्वीट हाउस, अग्रसेन चौक गुरुद्वारे के सामने, श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया, जाति साहनी, निवासी 91-92 फेंडस विहार, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/फास्ट फूड बनाने में किया जाता है। मौके पर 05 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 05 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया की दुकान पर पाये गए 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं ईशान नागपाल पुत्र श्री राजपाल नागपाल जाति अरोड़ा, निवासी 76 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया के द्वारा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 05 घरेलू गैस सिलेंडर मय 41.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पुलिस थाना जवाहरनगर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सतीश कुमार पुत्र श्री महावीर को स्वयं से तामील करवाई गई। अप्रार्थी स्वयं द्वारा तामील होने के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को गणपति स्वीट हाउस, अग्रसेन चौक गुरुद्वारे के सामने, श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया, जाति साहनी, निवासी 91-92 फेंडस विहार, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/फास्ट फूड बनाने में किया जाता है। मौके पर 05 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 05 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया की दुकान पर पाये गए 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं ईशान नागपाल पुत्र श्री राजपाल नागपाल जाति अरोड़ा, निवासी 76 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया के द्वारा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1)

(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।



अति० जिला कलेक्टर (प्रशाख)  
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 26.03.2025 को गणपति स्वीट हाउस, अग्रसेन चौक गुरुद्वारे के सामने, श्रीगंगानगर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया, जाति साहनी, निवासी 91-92 फेंडस विहार, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/फास्ट फूड बनाने में किया जाता है। मौके पर 05 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 05 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया की दुकान पर पाये गए 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं ईशान नागपाल पुत्र श्री राजपाल नागपाल जाति अरोड़ा, निवासी 76 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया के द्वारा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस का दुरुपयोग किया जा रहा था। श्री इन्दर मुखिया पुत्र श्री राजेश मुखिया के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 41.8 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को फालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास

सुनाया गया।



2  
(सुभाष कुमार)  
अति० जिला-मजिस्ट्रेट (आ०)  
अति० जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर